क्रमांक- 5

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

बुधवार, दिनांक 25 जनवरी, 2017 (माघ 5, 1938)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-184, कसरावद से निर्वाचित सदस्य श्री सचिन यादव को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल शहर, मध्यप्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को संबोधित पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2017 जो इस सचिवालय में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

'' मुझे आपको यह सूचना देनी है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री सचिन यादव को दिनांक 18 जनवरी, 2017 को 16.05 पर धारा 151 जा.फौ एवं इस्तगासा क्रमांक-34/17 धारा 107/116 (3) जा.फौ. के तहत बंदी कर उन्हे मौके पर ही विमुक्त कर दिया गया है.''

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.